म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स,किसान भवन,जेल रोड भोपाल.

क्र./बोर्ड/योजना/गै.त./35/2019–20/249 भोपाल,दि. 16/05/19

प्रति,

संयुक्त संचालक/उपसंचालक,
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय–..(समस्त)

विषयः– मण्डियों में कृषकों एवं हम्माल तुलावटियों के लिये लागू रूपये 5/– प्रति थाली भोजन योजना के संबंध में मंडियों द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया के पालन प्रतिवेदन के संबंध में।

संदर्भः– मण्डी बोर्ड का पत्र क्र./बोर्ड/योजना/गै.त./35/2019–20/183–184 दिनांक 22/04/19

–0000–

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा समस्त भारसाधक अधिकारी/सचिव मण्डी समितियों में कृषकों एवं हम्माल/तुलावटियों के लिये लागू रूपये 5/– प्रति थाली भोजन योजना के क्रियान्वयन में मण्डी समितियों द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया के संबंध में प्रबंध संचालक महोदय द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। (सुलभ संदर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न है।)

अतः उक्त निर्देशों को अपने संभाग की अधीनस्थ मण्डी समितियों में पालन कराया जाकर जानकारी तत्काल मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रबंध संचालक महोदय द्वारा निर्देशित।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

सहायक संचालक (योजना)
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल.

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स जेल रोड, किसान भवन भोपाल.

क्र./बोर्ड/यो./गै.त./भोज./35/19–20/183 भोपाल, दिनांक 22/04/2019
प्रति,

भारसाधक अधिकारी/सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति.......................................
जिला...............................(समस्त)

विषय :– मण्डियों में कृषकों एवं हम्माल तुलावटियों के लिये लागू रूपये 5/–प्रति थाली भोजन योजना के संबंध में मंडियों द्वारा अपनाई जा रही प्रकिया के संबंध में।
संदर्भ :– मण्डी मुख्यालय का पत्र क्रमांक/मण्डी/योजना/35/126 दिनांक 30.03.2019
00000

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि कार्यालयीन परिपत्र क्रमांक/मण्डी/योजना/35/126 दिनांक 30.03.2019 द्वारा मण्डियों में कृषकों एवं हम्माल/तुलावटियों के लिये लागू रूपये 5/– प्रति थाली भोजन योजना के क्रियान्वयन में मण्डी समितियों द्वारा अपनाई जा रही प्रकिया में निम्नानुसार संशोधन किया गया है :–

1. मण्डी प्रांगण में रूपये 5/– प्रति थाली भोजन योजना के प्रचार–प्रसार हेतु एक सील बनबाई जावे (भोजन कूपन अवश्य प्राप्त कीजिये।) इस सील को जिन मण्डी समितियों में भोजन कूपन केन्टीन चालू है उन मण्डी समितियों के पास उपलब्ध प्रवेश पर्ची/अनुबंध पर्ची में सामने रिक्त स्थान पर लगाई जावे।

2. जिन मण्डी समितियों में नये प्रवेश पर्ची/अनुबंध पर्ची मुद्रण कराई जाती है उन प्रवेश पर्ची/अनुबंध पर्ची में सामने रिक्त स्थान पर (भोजन कूपन अवश्य प्राप्त कीजिये।) अंकित कराया जावे।

3. मण्डी प्रांगण में रूपये 5/– प्रति थाली भोजन योजना के प्रचार–प्रसार हेतु प्रति घन्टे मण्डी प्रांगण में एनाउंसमेंट किया जावे जिसमें कूपन जारीकर्ता कर्मचारी का नाम पद नाम एवं मोबाईल नम्बर एवं कूपन जारी करने का स्थान/शेड क्रमांक आदि उल्लेख किया जावे एवं मण्डी प्रांगण में प्रवेश द्वार/निकास द्वार/शेडों/नीलामी स्थल/कृषक विश्राम गृह/पेयजल स्थल (प्याउस्थल) के आस–पास ऐसी जगह चिन्हित की जाकर दीवार पर भोजन कूपन प्राप्त करने संबंधी सूचना (संक्षिप्त में) लिखी जावे जिसे कृषक एवं हम्माल/तुलावटी आसानी से पढ़ सकें।

4. भोजन कूपन जारीकर्ता कर्मचारी के लिये मण्डी प्रांगण में एक स्थान चिन्हित किया जाकर बैठने की व्यवस्था की जावे एवं एक भोजन कूपन वितरण का बेनर लगाया जावे, जिससे कृषकों एवं हम्माल/तुलावटियों को कूपन प्राप्त करने में कठिनाई न हो।

2

5. भोजन कूपन जारीकर्ता कर्मचारी के पास एक भोजन कूपन जारी पंजी संधारित कर जावे जिसमें प्रत्येक दिन एवं दिनांकवार विवरण अंकित किया जावे एवं कूपन जारीकर्ता कर्मचारी की सील बनवाई जावे जिसमें कर्मचारी का नाम, पदनाम, मोबाईल नम्बर अंकित हो जिसको कर्मचारी द्वारा प्रत्येक दिन पंजी पर लगाई जावे। पंजी का प्रारूप निम्नानुसार है :–

क्र.	कृषक / हम्माल / तुलावटी का नाम पिता का नाम एवं पता व मो.नं.	प्रवेश पर्ची / अनुबंध पर्ची का क्र. / दि. एवं हम्माल / तुलावटी का लायसेंस क्रं. / दि.	कूपन क्रमांक जारी दिनांक	कूपन प्राप्तकर्ता के हस्ता.अंगूठा निशान
1	2	3	4	5
1				
2				
		योग –		

कुल जारी कूपन की संख्या...............................

कूपन जारीकर्ता की सील एवं हस्ताक्षर

6. भोजनालय संचालित करने वाले ठेकेदार के पास एक पंजी संधारित कराई जावे, जो निम्न प्रपत्र अनुसार प्रति दिन एवं दिनांकवार संधारित करते हुए अद्यतन रखी जावे।

क्र.	कृषक एवं हम्माल / तुलावटी का नाम पिता का नाम एवं पता व मो.नं.	कूपन क्रमांक / दिनांक	भोजनकर्ता के हस्ता. / अंगूठा निशान
1	2	3	4
1			
2			
	योग–		

कुल प्राप्त कूपन की संख्या...............................
भोजनकर्ताओं की कुल संख्या...............................

ठेकेदार की सील एवं हस्ताक्षर

7. भोजनालय के संचालित करने वाले ठेकेदार के पास एक निरीक्षण पंजी संधारित कराई जावे,जिसमें मण्डी बोर्ड / मण्डी समिति के अधिकारी(भारसाधाक अधिकारी / सचिव / मण्डी प्रांगण प्रभारी) द्वारा निरीक्षण के दौरान भोजन की गुणवत्ता एवं अन्य व्यवस्था (जैसे पानी, सफाई, फर्नीचर, ठेकेदार के कर्मचारी(वेटर), बैठक व्यवस्था, रूपये 5/–का भुगतान करने संबंधी कमियों / सुझाव का निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा निरीक्षण पंजी में उल्लेख करेंगे। संबंधित ठेकेदार निरीक्षणकर्ता अधिकारी को निरीक्षण पंजी अनिवार्य रूप से तत्काल पंजी उपलब्ध कराकर अवलोकन करायेगें।

3

8. प्रत्येक सप्ताह के अंत में मण्डी सचिव/प्रांगण प्रभारी कूपन जारीकर्ता की पंजी एवं ठेकेदार की संधारित पंजी का अनिवार्य रूप से मिलान करेगें। यदि दोनों पंजियों का आपस में मिलान नहीं होता है ऐसी स्थिति में ठेकेदार/कूपनजारीकर्ता कर्मचारी को नोटिस जारी कर जबाब प्राप्त करेगें तथा आवश्यकता अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें। मण्डी सचिव के प्रमाणीकरण पश्चात् ही भोजन कूपन के देयकों का अनुदान/भुगतान किया जावेगा। इसके लिये किसी भी प्रकार की शिकायत पाये जाने पर सीधे तौर पर सचिव/प्रांगण प्रभारी जिम्मेदार होगें। ''स'' एवं ''द'' वर्ग मण्डी समितियों के सचिव पूर्व व्यवस्था अनुसार प्रपत्र ''क'' में अनुदान की मांग संबंधित संयुक्त संचालक/उपसंचालक को प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से प्रेषित करेगें एवं संयुक्त संचालक/उपसंचालक प्रपत्र ''ख'' में अपनी अनुशंसा सहित अनुदान हेतु वरिष्ठालय को प्रेषित करेंगे।

9. उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 06 अनुसार बोर्ड/मण्डी के निरीक्षण कर्ता अधिकारी मण्डी के निरीक्षण के दौरान कृषक भोजनालय में ही अनिवार्य रूप से भोजन करेगें। मण्डी बोर्ड केनिरीक्षणकर्ता अधिकारी अपने दौरा देयकों में भोजन के देयक का भुगतान बोर्ड से प्राप्त नहीं कर सकेगें।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

O/C (फैज अहमद किदवई)
प्रबंध संचालक–सह–आयुक्त
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल.

क्र./बोर्ड/यो./गै.त./भोज./35/19–20/184 भोपाल, दिनांक 22/04/2019

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उपसंचालक (समस्त) मण्डी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल ।
2. संयुक्त संचालक/उप संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय–................................(समस्त)
3. उपसंचालक/चीफ प्रोग्रामर, एम.आई.एस.शाखा मण्डी बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल.

प्रबंध संचालक–सह–आयुक्त
O/C म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल.

4